सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह के उत्तर-1 क्षेत्र में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा केंद्रशासित राज्य चंडीगढ, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख राज्य तथा उत्तर-2 क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के केंद्रीय कार्यालयों को पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्य अतिथि नराकास अमृतसर की अध्यक्ष एवं मुख्य आयकर आयुक्त, अमृतसर जहांजेब अख्तर ने कहा कि भाषा की बात मन से होती है और भाषा संचार का सशक्त माध्यम है इसलिए भाषा का प्रयोग भी सचेतन होकर करना चाहिए । उनका कहना था कि ऐसा प्रयास होना चाहिए कि भाषा जोड़ने का माध्यम बने और हिंदी इस भूमिका का निर्वहन कर रही है । कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य आयकर आयुक्त एवं नराकास अध्यक्ष गाजियाबाद, डॉ. शुचिस्मिता पलाई का कहना था कि हमें अधिक से अधिक कार्य हिंदी में कर अपने संवैधानिक दायित्व पूर्ण करने चाहिए। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत करते हुए राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के निदेशक बी एल मीना ने कहा कि प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना पर आधारित संघ की राजभाषा नीति के अनुसरण में राजभाषा विभाग, देश के विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता आ रहा है। वर्ष 1985 से निरंतर इन सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है और अब तक कुल 109 सम्मेलनों का आयोजन पूरे देश भर में किया जा चुका है। मीना जी ने बताया कि इन क्षेत्रीय सम्मेलनों का उद्देश्य राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं का समाधान ढूँढना और इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करना है । अंत में राजभाषा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. राकेश बी. दुबे द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया । कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हम लोग शाम को अपने होटल की ओर रवाना हो गए ।

अगली सुबह हम लोग स्वर्ण मंदिर के दर्शन के लिए निकल गए । स्वर्ण मंदिर भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है । स्वर्ण मंदिर को हरी मंदिर साहिब तथा दरगाह साहिब के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर सिख धर्म के लोगों के लिए एक पावन धरा है। यह सिख धर्मावलंबियों का मुख्य गुरुद्वारा माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण सिक्खों के चौथे गुरू रामदास ने करवाया था। इस मंदिर को कई बार तोड़ दिया गया तथा इस मंदिर पर अनेक बार हमले हुए इस कारण इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। इस मंदिर के पुनर्निर्माण में हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्य रूप से स्वर्ण मंदिर सिख धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल है लेकिन इस मंदिर में लाखों की संख्या में अनेक धर्म के लोग आते हैं तथा मंदिर के दर्शन करते हैं।

जब इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया था तब यह पत्थर का बना हुआ था लेकिन इस पर हो रहे लगातार हमलों के कारण भक्तों ने इसका पुनर्निर्माण कराते समय इस पर सोने की परत चढ़ा दी जिस कारण से इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते है।

हम स्वर्ण मंदिर से कुछ दूर उतर कर वहां के बाजार पहुँच गए। यहाँ का बाजार बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है और यह बहुत ही साफ सुथरा रहता है। यहाँ के व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट हैं तथा यहां की लस्सी देश भर में प्रसिद्ध है। मंदिर पहुँच कर सबसे पहले हमने पवित्र सरोवर में स्नान किया।

उसके पश्चात हमने मंदिर के दर्शन किए। यहां सबसे बड़ा लंगर भी लगता है जहां हर रोज लाखों लोगों को भोजन करवाया जाता है। हमने भी इस लंगर में भोजन ग्रहण किया।

वापस जाते समय रास्ते में जलियांवाला बाग देखने का मौका मिला। यहाँ पर एक बहुत अच्छा संग्रहालय भी बनाया गया है जिसमें जनरल डायर की क्रूरता को दिखाया गया है।

यहाँ पर बहुत से शिलालेख भी बनाए गए हैं जिन पर इस जघन्य हत्याकांड के विषय में वर्णन किया गया है। रौलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अँग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियाँ चलवा दीं जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति शहीद हो गए और 2000 से अधिक घायल हुए। माना जाता है कि यह घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी।

मेरे लिए एक ऐसी जगह की यात्रा करना बहुत ही प्रेरणादायक था क्योंकि यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा और तरंगों से भरा है, जिसने हमें भी उस ऊर्जा से ओत-प्रोत किया। इसी के साथ हमारी अमृतसर यात्रा की समाप्ति हुई और मिली-जुली स्मृतियों के साथ हमने इस भूमि से विदा ली।

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

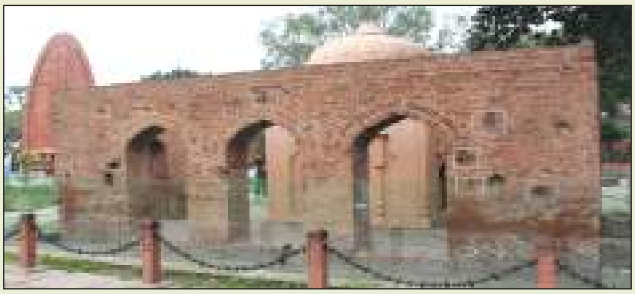

क्रोध से बात

सुषमा दीवान

आज मेरी क्रोध से बात हुई
क्रोध ने बोला कि मुझे भगवान
ने इंसान में क्यों डाला है?
बहुतों को सताया मैंने
बहुतों को रुलाया मैंने
बहुत रिश्ते तुडवाये मैंने
बहुत उत्पात मचाया मैंने
सामने कुछ न नजर आए
सर पे जब मैं चढ़ जाऊँ
क्या नाते, क्या रिश्ते,
मैं किसी पर उतर आऊँ
फायदा कभी कुछ किया नहीं मैंने
नुकसान इतना कर डाला
भगवान ने इंसान में क्यों डाला
बातें तो बस बातें हैं, रखना याद ये
बात सदा भूल कर भी, मत 'इंसान' तुम,
होना क्रोधवान कदा

निजी सचिव

हिन्दी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है
और उसे दृढ़ करती है।।
-पुरुषोत्तम दास टंडन

छह बातें अपनाएं

ममता सहगल

ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले सौभाग्यशाली भक्तों को ये छह बातें अपने जीवन में अवश्य अपना लेनी चाहिए :-

1. ईश्वर को अपना मानो। ईश्वर मेरा है, मैं ईश्वर का हूँ।
2. जप, ध्यान, पूजा, सेवा, खूब प्रेम से करो ।
3. जप, ध्यान, भजन, साधना को जितना हो सके, उतना गुप्त रखो।
4. जीवन को ऐसा बनाएँ कि लोगों में आपकी माँग हो। उन्हें आपकी अनुपस्थिति चुभे। कार्य में कुशलता और चतुराई बढ़ाएं। प्रत्येक कार्य, क्रिया कलाप, बोल चाल सुचारू रूप से करें। कम समय में, कम खर्च में सुन्दर कार्य करें। अपनी आजीविका या जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करें, उसे कुशलतापूर्वक करें, रसपूर्वक करें।

   यह सब रूपयों और पैसों के लिए, मान-बडाई के लिए, वाह-वाही के लिए नहीं, बल्कि अपने अंत:करण को निर्मल करने के लिए करें, जिससे परमात्मा के लिए आपका प्रेम बढ़े। ईश्वरानुराग बढ़ाने के लिए प्रेम से सेवा करें, उत्साह से काम-धंधा करें।
5. व्यक्तिगत खर्च कम करें। जीवन में संतोष लाएं।
6. सदैव श्रेष्ठ कार्य में लगे रहें। समय बहुत मूल्यवान है। समय के बराबर मूल्यवान अन्य कोई वस्तु नहीं है। समय देने से सब मिलता है, परन्तु सब कुछ देने से भी समय नहीं मिलता। धन-दौलत तिजोरी में संग्रहीत कर सकते हैं, परन्तु समय तिजोरी में नहीं संजोया जा सकता। ऐसे अमूल्य समय को श्रेष्ठ कार्यों में लगाकर सार्थक करें।

निजी सचिव

न्याय की भाषा

बिरजू सिंह

यह विचारणीय है कि जापान, रूस, फ्रांस, इटली, चीन सहित दुनिया के अधिकतर देश जब अपनी मूल भाषा में जीवन की समस्त गतिविधियां संचालित कर रहे हैं तो हमारे देश के नीति निर्माताओं को गंभीरता से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए कि क्यों न हिंदी को उस शिखर पर पहुंचाया जाए जहां नीतियां और कानून हिंदी में तैयार कर उनका अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी में किया जाए।

कहा जाता है कि न्याय की कोई भाषा नहीं होती क्योंकि न्याय सिर्फ होना चाहिए चाहे उसका माध्यम कोई भी भाषा हो लेकिन भारत में आज भी न्याय की भाषा अंग्रेजी है जिसे अधिकांश जनता द्वारा समझ पाना मुश्किल होता है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में जिस भाषा का उपयोग किया जाता है, वह न्याय सुनिश्चित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है।

यदि न्यायिक प्रक्रिया हिंदी अथवा अन्य भारतीय भाषाओं में संचालित की जाएगी तो निश्चित रूप से इससे आम नागरिकों का न्याय व्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा और वे इससे अपना जुड़ाव महसूस करेंगे। दुर्भाग्य है कि देश में आज भी न्यायालयों के कामकाज एवं फैसलों में अंग्रेजी का ही दखल बना हुआ है। हमारे न्यायालयों के कामकाज, उनमें किए जाने वाले तर्क-वितर्क और आदेशों की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का ही आधिपत्य बना हुआ है। यह कम पीड़ादायक नहीं है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी का न्यायिक विभाग ऐतिहासिक फैसला लेते हुए हिंदी को भी अपनी अदालतों में आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कर लेता है और भारत में मातृभाषा अपने सम्मान के लिए तरसती है। भारत की भाषा का यह सम्मान विदेश में भारतीयों के महत्व को रेखांकित करता है।

विडंबना है कि आजादी के सात दशक के बाद भी भारत के नागरिकों को न्याय उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध कराने का अधिकार नहीं दिया गया है। फ्रांस ने यह काम 1539 में किया था और ब्रिटेन ने 1362 में। हंगरी ने यही काम 1784 में किया था। लेकिन हम आज तक भी ऐसा नहीं कर पाए हैं। इसी कारण न्याय का पूरा तंत्र भारतीय नागरिक के लिए थोडा जटिल प्रतीत होता है।

हिंदी के पक्ष में हमारे अंतरराष्ट्रीय स्वर तब तक कमजोर ही रहेंगे, जब तक हम अपने ही देश में हिंदी को बराबर सम्मान की व्यावहारिकताएं उपलब्ध नहीं कराते। जब हमारे ही देश में न्याय के उच्च अधिष्ठानों के निर्णय अंग्रेजी में होते हैं और संविधान में प्रथमोल्लिखित राजभाषा में नहीं तो कौन हमारी भाषा को दुनिया में गंभीरता से लेगा? दुनिया के सभी विकसित देशों की अदालतों में उनकी अपनी भाषा चलती है। सिर्फ भारत जैसे कुछ देशों में ही विदेशी भाषा चलती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(1) में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे। लेकिन अनुच्छेद 348(2) में प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उच्च न्यायालय की कार्यवाही में राज्य के किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए हिंदी भाषा या किसी अन्य भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है। इसी के अनुसरण में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश और बिहार राज्यों के उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों के साथ-साथ निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में भी हिंदी के प्रयोग को अधिकृत कर दिया गया है। भारत सरकार को तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक सरकार से उच्च न्यायालय की कार्यवाही में तमिल, गुजराती, हिंदी, बंगाली और कन्नड़ के उपयोग की अनुमति देने के लिए से प्रस्ताव प्राप्त हुए जो कि भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने हिंदी के प्रति अपने सम्मान को जताया जिसके कारण विधिक कार्यवाही हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं में की जा रही है।

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

मंडला आर्ट

पूजा जोशी

मंडला आर्ट कला का एक गोलाकार रूप है, इसे सर्किल भी कहा जाता है। यह एक संस्कृत से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है 'चक्र'। यह एक डिजाइन या पैटर्न है जिसका इतिहास बौद्ध और हिन्दू धर्म की आध्यात्मिकता से जुड़ा है। मंडला डिजाइन दरअसल ब्रह्मांड को दर्शाता है और ब्रह्मांड में मौजूद संतुलन को चिन्हित करता है। जिस तरह ब्रह्मांड अपने में सभी चीजों को समा लेता है, उसी तरह मंडला में लाइन्स केंद्र में समाती दिखती हैं। इसमें एक बिंदु होता है, जिससे कला की शुरुआत होती है और बिंदु के बाहर कई लेयर होती है। अंत में बिंदु से शुरु होकर एक विशाल चक्र या किसी दूसरे आकार का हिस्सा बन जाता है।

मंडला आर्ट के लाभ : अगर आप बहुत अधिक तनाव में हैं और तनाव के कारण आपका हर काम प्रभावित हो रहा है तो आप मंडला आर्ट थेरेपी की मदद ले सकते है। यह एक प्रकार का मैडिटेशन है। एंग्जायटी की समस्या भी इससे दूर की जा सकती है। आप हर वक्त नकारात्मक सोचते हैं तो आपको मंडला आर्ट थेरेपी की मदद लेनी चाहिए इसका अभ्यास मन को शांत करता है एवं फोकस बढाता है ।

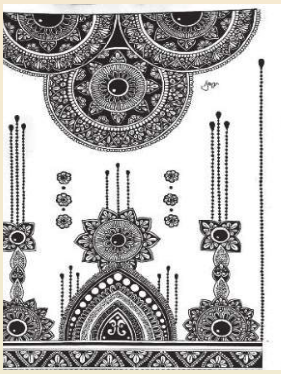

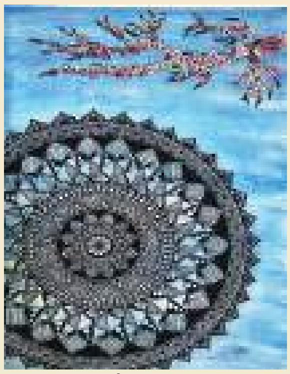

कार्यालय अधीक्षक

क्रोध - एक आंतरिक शत्रु

लोकेश

क्रोध हमारे तन और मन दोनों के लिए अत्यंत घातक होता है। अक्सर क्रोध का कारण हमारी अपनी ही कोई गलती होती है लेकिन क्रोध करने से गलती भी सुधरने वाली नहीं उलटी इससे स्थितियां और भी प्रतिकूल हो सकती हैं।

गलती पर क्रोध से कोई लाभ नहीं, गलती का परिमार्जन ही श्रेयस्कर माना जाता है इसके लिए हमें पहले गलती को स्वीकार करना होगा। कई बार देखने में आता है कि हम अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं करते तब फिर उसमें सुधार कैसे करेंगे। अपनी गलती के बचाव में हम कुतर्क तर्क करने लग जाते है। जब सामने वाला उन तर्कों को स्वीकार नहीं करता तो हमारे क्रोध की तीव्रता और बढ़ती जाती है। क्रोध की अग्नि में व्यक्ति स्वयं ही भस्म होने लगता है। उसका समग्र संतुलन बिगड़ना आरम्भ हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह जो कुछ भी सही करने का प्रयास करता है, उसके भी गलत होने की आंशका बढ़ जाती है। ऐसे में, क्रोध की स्थिति में सबसे आवश्यक यही है कि स्वयं को स्थिर रखा जाए। क्रोध की लहर को शांतिपूर्वक तट से टकराने दिया जाए। उसका प्रतिरोध करने पर क्रोध की लहरें और ऊँची उठकर विकराल रूप ले सकती है। जैसे तन को स्वस्थ रखने के लिए कुपथ्य से दूर रहना पड़ता है, उसी प्रकार मन को प्रसन्न रखने के लिए अपेक्षा, आग्रह, आसक्ति, अहंकार और उससे उपजे क्रोध से स्वयं को दूर रखना होता है।

गर्म दिमाग से हुई क्षति के परिणाम के प्रभाव भी तुरंत प्रत्यक्ष होने लगते हैं। इससे मानसिक शांति गायब हो जाती है। शब्दों में मधुरता लुप्त हो जाती है। संबंधों में आत्मीयता और हृदय की कोमलता विलुप्त हो जाती है। इतने दुष्परिणामों का तात्कालिक अनुभव होने पर भी हम प्रयत्नशील नहीं होते तो इसका अर्थ यही है कि हमारे भीतर विवेक और चेतना जैसी कोई शक्ति है ही नहीं। ऐसी अहितकारी स्थिति से बचने के लिए हमें क्रोध से हमेशा बचना चाहिए।

अवर श्रेणी लिपिक

भारत के दर्शनीय पर्यटन स्थल

आशना

भारत अपनी ऐतिहासिक धरोहर, विविधतापूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य और विशाल सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पर्यटन है जो उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत का पर्यटन उद्योग बहुआयामी और विशाल है जिसमें प्राचीनता, इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है। भारत में पर्यटन ने सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया और अर्थव्यवस्था को बढ़ाया। भारत, विभिन्न धर्मों, भाषाओं और राज्यों की एकता के लिए विश्व भर में अद्वितीय है। भारत में पर्यटन का विस्तार हुआ है और पर्यटकों को एक अलग और अनुभवी सांस्कृतिक वातावरण मिलता है। भारत दुनिया भर में पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा स्थान है क्योंकि यह विविधता, समृद्धता और आकर्षक है।

सांस्कृतिक पर्यटन:

वाराणसी, उत्तर प्रदेश: वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है, विश्व के सबसे प्राचीन निवासित शहरों में से एक है और इसे भारतीय आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है। यह अपने गंगा नदी के घाटों के लिए प्रसिद्ध है, जहां तीर्थयात्री पूजा और कर्मकांड करते हैं। इसके प्राचीन मंदिरों, संगीत, नृत्य, और जीवंत त्योहारों के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक विरासत का अनुभव किया जा सकता है।

वाराणसी के प्रमुख आकर्षण:

1) **गंगा तट:** वाराणसी में गंगा के घाट सबसे प्रसिद्ध पर्यटन हैं। यहाँ पर्यटक धार्मिक कार्यक्रमों, संत से बातचीत और गंगा आरती का आनंद लेते हैं।

2) **काशी विश्वनाथ मन्दिर:** यह प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ कई शिवलिंग हैं और यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उपस्थित रहती है।

3) **सारनाथ:** वाराणसी के निकट सारनाथ एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थान है। यही स्थान था जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र शुरू किया था।

खजुराहो, मध्य प्रदेश: खजुराहो अपनी जटिल और स्पष्ट नक्कासी के लिए प्रसिद्ध है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। ये मंदिर 950 और 1050 ई. के बीच चंदेल राजवंश द्वारा निर्मित हैं और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं।

1) **खजुराहो मन्दिर:** 10वीं और 12वीं शताब्दी के 20 से अधिक प्राचीन मंदिर खजुराहो में हैं। ये मंदिर खजुराहो के प्रमुख आकर्षण हैं और नागर, द्रविड़ शैलियों से अलग हैं।

2) **खजुराहो की कला:** मंदिरों में खजुराहो की शिल्पकला दर्शकों को आकर्षित करती है। इन मंदिरों की शिल्पकला मुख्य रूप से व्यापारिक, शिल्पिक और भावनात्मक भावनाओं को व्यक्त करती है।

3) **खजुराहो की चित्रित मूर्तियाँ:** खजुराहो में मंदिरों के देवी-देवताओं की कई अलग-अलग मूर्तियाँ भी देख सकते हैं। ये मूर्तियाँ सन्दर्भों और धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व को व्यक्त करती हैं।

वन्यजीव दर्शन:

रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान: रणथंभौर भारत का एक सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो अपनी बाघ संख्या और विविध वन्यजीवन के लिए प्रसिद्ध है। सफारी यात्राएँ पार्क की प्राकृतिक सौंदर्य का अन्वेषण करने और उसके प्राकृतिक वन्यजीवन को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का अवसर प्रदान करती हैं।

रणथंभौर के प्रमुख आकर्षण:

1) **बाघ सफारी:** रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की सफारी देखना एक अनूठा अनुभव है। यहाँ पर्यटक जंगली जीवन को देखने के लिए सफारी का आनंद लेते हैं एवं हिरण, चीता, गीदड़ और बाघों को देख सकते हैं।

2) **रणथंभौर झील:** यह झील रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के पास है, जहां पक्षी, चिंगार और मगरमच्छ रहते हैं। यहाँ का भी प्राकृतिक सौंदर्य आनंदमयी होता है।

3) **रणथंभौर किला:** रणथंभौर किला एक प्राचीन गढ़ है जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के आस-पास स्थित है। यह किला राजपूत शैली में बनाया गया है और इसके शिल्पकला और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है।

रोमांचक पर्यटन स्थलः

लेह-लद्दाख, जम्मू और कश्मीरः लेह-लद्दाख अपने शानदार परिदृश्य में रोमांच खोजने का अवसर प्रदान करता है। यह अपनी अनूठी संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और उच्च ऊँचाई के लिए प्रसिद्ध है। लेह लद्दाख क्षेत्र अपने सुंदर दृश्यों और विश्व की सबसे उच्च गुफाओं और पर्वत श्रृंखलाओं में से एक लोकप्रिय साहसिक पर्यटन स्थल है।

1) **ट्रैकिंगः** लेह-लद्दाख में ट्रेकिंग के लिए बहुत सारे पर्वतीय मार्ग हैं। यहाँ ट्रेकिंग करके पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में ट्रेकिंग आम है।
2) **पर्वतारोहणः** लेह-लद्दाख क्षेत्र अपनी ऊँचाई और कठिन मार्गो के लिए जाना जाता है एवं आकाशीय दृश्यों का आनंद लेने वालों के लिए पर्वतारोहण एक रोमांचक अनुभव है।
3) **राफ्टिंगः** इंडस और गंगा जैसी नदियाँ हिमालयों से निकलने पर अपने तेज धारा प्रवाह के लिए प्रसिद्ध हैं। लेह-लद्दाख में राफ्टिंग करने का मौका मिलता है, जो एक रोमांचक और दिलचस्प अनुभव है।
4) **पैराग्लाइडिंगः** लेह-लद्दाख क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग एक अन्य साहसिक गतिविधि है जो पर्यटकों को आकाश में उड़ने का अनुभव कराती है। यह अद्वितीय पर्यटन अनुभव प्रदान करता है और पर्यटकों को प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने का मौका देता है।

धार्मिक पर्यटन स्थलः

हरिद्वार और ऋषिकेश, उत्तराखंडः हरिद्वार और ऋषिकेश धार्मिकता, योग और आध्यात्मिकता के लिए महत्वपूर्ण स्थल हैं। हरिद्वार में हर की पूजा की जाती है और ऋषिकेश योग के लिए प्रसिद्ध है।

हरिद्वार के प्रमुख आकर्षणः

हर की पौड़ीः यह गंगा नदी का एक प्रमुख घाट है जो परंपरागत पूजा और स्नान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर्यटक आते हैं और अपने पापों को धोने के लिए गंगा नदी में स्नान करते हैं।

हरिद्वार के मंदिरः हरिद्वार में कई प्राचीन मंदिर हैं जो आत्मा को शांति और आनंद प्रदान करते हैं, जैसे कि मंसा देवी मंदिर, चंदी देवी मंदिर, और मनसा मंदिर।

चंद्रकूपः यह एक प्राचीन कुंड है जो धार्मिक महत्व का संदर्भ है। यहाँ पर्यटक आते हैं और पूजा के लिए जल से जल लेते हैं।

ऋषिकेश के प्रमुख आकर्षणः

त्रिम्बकेश्वर मंदिरः ऋषिकेश में त्रिम्बकेश्वर मंदिर हिंदू धर्म का प्रमुख स्थल है जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर्यटक आते हैं और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

लक्ष्मण झूलाः यह गंगा नदी पर बना झूला दुनिया का सबसे बड़ा झूला है। यहाँ पर्यटक आते हैं और इसका आनन्द लेते हैं।

गीता भवनः यह भवन भगवद गीता ग्रंथ को समर्पित है और ध्यान एवं धार्मिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है।

शिक्षा और अनुसंधान पर्यटनः

आयुर्वेदिक पर्यटन, केरलः केरल आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए मशहूर है, और यहाँ आयुर्वेदिक उपचार केंद्र हैं जहाँ पर्यटक अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आते हैं।

केरल के आयुर्वेदिक पर्यटन के प्रमुख आकर्षणः

आयुर्वेदिक उपचारः केरल में आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक हैं जो विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए विभिन्न प्रकार के और उपाय प्रदान करते हैं।

आयुर्वेदिक शालायेंः केरल में विभिन्न आयुर्वेदिक शालाएं हैं जिन्होंने प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों को आज तक जीवन्त किया बनाए रखा है और पर्यटकों को आयुर्वेदिक चिकित्सा के लाभ को अनुभव करने का अवसर प्रदान करती हैं।

यात्रा और पर्यटन क्षेत्र की वृद्धि और बढ़ोत्तरी ने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। भारतीय सांस्कृतिक विरासत पर्यटन को प्रोत्साहित करने के अलावा विदेशी पर्यटकों को भारतीय संस्कृति और विविधता का अनुभव करने का अवसर देता है।

निष्कर्ष रूप में पर्यटन का भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण है। भारत की विश्व में प्रतिष्ठा और मान्यता दिलाने में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है।

प्रवर श्रेणी लिपिक

गुरु द्रोण ग्राम से मिलेनियम सिटी तक का सफर

मोनिका

गुरुग्राम अर्थात् भारतवर्ष के महान गुरु द्रोणाचार्य का ग्राम - जिसका उल्लेख हिन्दू ग्रंथो में भी मिलता है। इसी ग्राम में गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शिक्षा-दीक्षा प्रदान की थी जो कि महाकाव्य महाभारत के पात्र हैं। पांडवों और कौरवों ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरुग्राम उपहार स्वरुप भेंट किया था जो ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि महाकाव्य महाभारत में दर्शाया गया कुंआ जिसमें पांडवों और कौरवों की गेंद गिर गई थी, आज भी गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज के अन्दर स्थित है।

वर्तमान में गुरुग्राम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक विकास का गलियारा बन चुका है। इस मिलेनियम साइबर सिटी में भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति-सुजुकी स्थापित है, साथ ही हीरो मोटोकोर्प, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर के अलावा अनेक बहुर्राष्ट्रीय कंपनियां वर्षो से यहाँ निर्माण कार्य कर विदेशों में निर्यात कर रही हैं। सूती वस्त्र, यंत्रचालित बुनाई और कृषि उपकरण ों से संबंधित उद्योग हैं।

गुड़गाँव का कुछ दिनों में जबरदस्त औद्योगीकरण हुआ है। यहाँ पर कई बहुर्राष्ट्रीय कम्पनियों ने अपने उद्योग स्थापित किए हैं। लाखों सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक यहाँ प्रतिदिन अपनी आजीविका कमाते हैं। इसके अलावा गुरुग्राम को आई.टी. सेक्टर का गढ़ भी कहा जाता है। गुरुग्राम ने कुछ ही समय में जबरदस्त प्रगति की है और हरियाणा सरकार इसे नई ऊँचाईयों तक ले जाने के लिए यहाँ नई-नई परियोजनाएँ शुरू कर रही है। इस शहर को साइबर सिटी के रूप में नई पहचान मिल रही है।

देश में नौ शक्तिपीठों में से एक गुरुग्राम गांव में स्थापित शीतला माता देवी मंदिर एवं तालाब धार्मिक एवं पौराणिक दृष्टि से आकर्षण का केंद्र है। विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान मंदिर का भव्य नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है।

देश के सबसे बड़े मॉल में से एक एंबियंस मॉल गुरुग्राम में स्थित है जो कि प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय ब्रांडों के लिए खुदरा दुकानों का केंद्र है तथा मेट्रो रेल गुरुग्राम के लिए एक आकर्षक का केंद्र है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय एवं अस्पताल गुरुग्राम के श्रमिक वर्ग एवं उनके आश्रितों को स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाएं एवं उनके विकट समय में आर्थिक हितलाभ प्रदान करते हुए उनमें आत्मबल और आत्मविश्वास का संचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रवर श्रेणी लिपिक

साहित्य की बहुत सी परिभाषाएँ की गई हैं, पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा 'जीवन की आलोचना' है। चाहे वह निबन्ध के रूप में हो चाहे कहानियों के या काव्य के, उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए।

-प्रेमचन्द

हिंदी-हर भारतीय की भाषा

पिंकी रानी

हिंदी भाषा आज की काम-काज और आम बोलचाल की प्रचलित भाषा बन चुकी है। अगर हम हिन्दी भाषा के इतिहास की बात करें तो हिन्दी भाषा का इतिहास लगभग एक हजार वर्ष पुराना माना जा सकता है। हिन्दी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत, पालि, प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन / प्रारंभिक हिन्दी का रूप धारण कर लेती हैं। अतः कहा जा सकता है कि हिन्दी का इतिहास अपभ्रंश से शुरू हुआ।

वैसे तो संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है इसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हिन्दी फारसी का शब्द है जिसका अर्थ है हिन्दी या हिन्द से संबंधित। हिन्दी शब्द की निष्पत्ति सिन्धु-सिंध से हुई है क्योंकि ईरानी भाषा में 'स' को 'ह' बोला जाता था इसलिए हिंदी शब्द सिन्धु शब्द का प्रतिरूप है। हिन्द शब्द से ही हिन्दी शब्द बना है।

विकासः-

हिंदी भारोपीय परिवार की आधुनिक काल की प्रमुख भाषाओं में से एक अपना अलग स्थान बना चुकी है। भृत्य आर्य भाषाओं का विकास का क्रम इस प्रकार से हैः-

संस्कृत>>पालि >>प्राकृत>>अपभ्रंश>>हिन्दी व अन्य भाषाएँ।

हिन्दी भाषा के इतिहास को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित करके हिंदी की उत्पत्ति का विकास क्रम इस प्रकार से निर्धारित किया हैः-

1) प्राचीन भारतीय आर्यभाषा - काल (1500 ई.पू. - 500 ई.पू.)
2) मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा-काल (500 ई.पू. - 1000 ई.)
3) आधुनिक भारतीय आर्यभाषा - काल (1000 ई. से अब तक)

प्राचीन भारतीय आर्य भाषा - आर्य भाषाओं के अध्ययन की दृष्टि से इसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं - वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत। इस काल में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उप निषदों के अलावा वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भाष, कालिदास आदि की रचनाएं संस्कृत में पाई जाती हैं।

1. **वैदिक संस्कृतः**- मूल रूप से हमारे वेदों की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों की रचना भी वैदिक संस्कृत में हुई। संसार का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है। जिसका अभी तक कोई लिखित रूप नहीं पाया गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि आर्यों की प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत रही होगी।
2. **लौकिक संस्कृतः**- दर्शन ग्रन्थों के अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग साहित्य में भी हुआ। रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि ग्रंथ लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए है।

मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा - काल (500 ई.पू. - 1000 ई.)

वैदिक और लौकिक संस्कृत काल में यह भाषा बोलचाल के संदर्भ में दबी हुई थी जो कि समय पाकर उभर कर सामने आई और पालि और प्राकृत भाषा का रूप धारण किया। अतः मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा को तीन भागों में विभाजित किया गयाः-

1. पालि बोलचाल की भाषा में विकसित होते-होते या कहें कि सरल होते-होते यह काफी बदल गई और इसे पालि कहा गया और भारत की प्रथम देशभाषा कहलाई। पालि भाषा में ही त्रिपिटक ग्रंथों-सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक की रचना हुई।
2. प्राकृत तक आते-आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई तथा इसको प्राकृत की संज्ञा दी गई। यह भाषा असंस्कृत थी और बोलचाल की आम भाषा थी, सहज ही बोली और समझी जा सकती थी। यथाः शौरसेनी, पैशाची, ब्राचड, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी आदि।
3. अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा और आधुनिक भृत्य आर्यभाषाओं के बीच की कड़ी मानी गई। इसलिए विद्वानों द्वारा इसे संधिकालीन भाषा कहा। अपभ्रंश के प्रमाण पतंजलि के महाभाष्य और भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में देखे जा सकते है।

आधुनिक कालः- अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, लह्दा, पंजाबी, सिन्धी, पहाड़ी, मराठी, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया और पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ। आगे चलकर इनसे विकसित होकर कई क्षेत्रों में बृजभाषा, खड़ी बोली, जयपुरी, भोजपुरी, अवधि व गढ़वाली जैसी भाषा बोली गई और एक समग्र हिंदी का रूप धारण किया।

मध्ययुग में भक्ति आंदोलन में हिंदी भाषा खूब फली-फूली। पूरे देश के भक्त कवियों ने अपनी वाणी को जन-जन तक पहुँचाने के लिए हिंदी का सहारा लिया वहीँ आधुनिक काल में स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी और हिंदी पत्रकारिता की भूमिका रही। महात्मा गाँधी सहित अनेक राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखा गया तथा भारत के स्वतंत्र होने पर हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया।

आज के युग में हिंदी का महत्वः- हिंदी आज राष्ट्रभाषा साथ-साथ आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी बहुत पसंद की जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब हैं। आज विश्व के कोने-कोने से विद्यार्थी हमारी भाषा और संस्कृति को जानने के लिए हमारे देश का रुख कर रहे हैं।

हिंदी दिवसः- भारत में हर वर्ष '14 सितम्बर'को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की पहचान और गौरव होती है। हिंदी हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधती है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्म में अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं हमारी मातृभाषा ही अनेकता में एकता का उदाहरण प्रस्तुत करती है क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, साक्षर से निरक्षर तक प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति हिंदी भाषा को आसानी से बोल समझ लेता है। इसलिए 14 सितम्बर को हिंदी दिवस के रूप में मनाकर अपनी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं।

अंग्रेजी बाजार में पिछड़ती हिंदीः जहां पहले विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम ज्यादा नहीं था वहीं आज अंग्रेजी की मांग बढ़ने के कारण देश के अधिकतम विद्यालयों में बच्चे हिंदी में पिछड़ते जा रहे हैं। यह विडंबना है कि उन्हें ठीक से हिंदी बोलना और लिखना नहीं आता है। अंग्रेजी भाषा के चलते आज दुनिया भर में हिंदी जानने और बोलने वालों के साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता जिनके वे हकदार हैं।

एक भारतीय होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का आज यह कर्तव्य बनता है कि जहां आज माता-पिता यह समझते हैं कि अंग्रेजी भाषा या अन्य विदेशी भाषा में शिक्षा पाने पर उनका बच्चा उचाईयों की बुलंदी छू सकता है, इस सोच को बदलकर अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में अपने बच्चों को समझाना, अपनी बोलचाल एवं घरेलू और कामकाजी कार्य में अधिक से अधिक हिंदी का उपयोग करना। इन्हीं सभी प्रयासों से हम अपनी राजभाषा हिंदी को पुनः समग्र बना सकते हैं।

जय हिन्द जय हिन्दी।

प्रवर श्रेणी लिपिक

जो बीत गयी

जीवन में एक सितारा था
माना वह बेहद प्यारा था
वह डूब गया तो डूब गया
अम्बर के आनन को देखो
कितने इसके तारे टूटे
कितने इसके प्यारे छूटे
जो छूट गए फिर कहाँ मिले
पर बोलो टूटे तारों पर
कब अम्बर शोक मनाता है
जो बीत गई सो बात गई
जीवन में वह था एक कुसुम
थे उसपर नित्य निछावर तुम
वह सूख गया तो सूख गया
मधुवन की छाती को देखो
सूखी कितनी इसकी कलियां
मुर्झाई कितनी वल्लरियां
जो मुर्झाई फिर कहां खिली
पर बोलो सूखे फूलों पर
कब मधुवन शोर मचाता है
जो बीत गई सो बात गई

जीवन में मधु का प्याला था
तुमने तन मन दे डाला था
वह टूट गया तो टूट गया
मदिरालय का आंगन देखो
कितने प्याले हिल जाते हैं
गिर मिट्टी में मिल जाते हैं
जो गिरते हैं कब उठतें हैं
पर बोलो टूटे प्यालों पर
कब मदिरालय पछताता है
जो बीत गई सो बात गई

मृदु मिटटी के हैं बने हुए
मधु घट फूटा ही करते हैं
लघु जीवन लेकर आए हैं
प्याले टूटा ही करते हैं
फिर भी मदिरालय के अन्दर
मधु के घट हैं मधु प्याले हैं
जो मादकता के मारे हैं
वे मधु लूटा ही करते हैं
वह कच्चा पीने वाला है
जिसकी ममता घट प्यालों पर
जो सच्चे मधु से जला हुआ
कब रोता है चिल्लाता है
जो बीत गई सो बात गई

-हरिवंश राय बच्चन-

भाषा और भाव

सुनील

ऐसा कहा जाता है कि मानव सृष्टि की श्रेष्ठतम रचना है जो कि सत्य भी है। प्रकृति ने उसे उपहार में वाणी का अनुपम वरदान देकर उसके प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया है। भाषा ही वह एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से मानव अपने विचारों, भावों आदि को प्रकट कर सकता है।

भाषा के अभाव में सामाजिकता, राष्ट्रीयता किसी का महत्व नहीं रह जाता। किसी भी दो व्यक्ति, राष्ट्र, राज्य या देश जो भी हो अपने आपसी प्रेम, व्यवहार व भावों की अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए एक ऐसी भाषा का होना अनिवार्य होता है जिसे वह दोनों ही आसानी से समझ व बोल सकें।

गांधी जी ने तो अपनी पुस्तक मेरे सपनों का भारत में लिखा है कि हमें भारत की स्वाधीनता के साथ साथ राजभाषा, राष्ट्रभाषा अथवा संपर्क भाषा के रूप में किसी भी भारतीय भाषा को प्रतिष्ठित करना होगा। पूरे देश के दौरे के पश्चात् गांधी जी ने यह निष्कर्ष निकाला कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा हो सकती है जिसे हम राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं। साथ ही हमारे देश के संविधान में इसके लिए तो अनुच्छेद 343 (1) में यहाँ तक लिखा है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी हैं

मनुष्य प्रकृति का एकलौता ऐसा प्राणी है जो कुछ भी कर सकता है, प्रकृति ने उसे दिमाग रूपी वरदान दिया है जिसके माध्यम से वह सोचने, समझने लगा और प्रकृति को ही आश्चर्य में डालने लगा।

मनुष्य चाहे जितनी भी भाषाएँ सीख ले किन्तु सत्य तो यह है कि जब तक वह अपनी मातृभाषा में बात कर नहीं कर लेता उसकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। वह जितनी आसानी से अपनी मन की बात अपनी मातृभाषा में प्रकट कर सकता है उतना वह अन्य किसी भाषाओं में नहीं कर सकता।

स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात् देश तो स्वतंत्र हो गया पर स्वतंत्र देश वह भी भारत जैसे देश में जहाँ सर्वधर्म समभाव अर्थात् भांति-भांति के लोग (हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई), भाषाएँ (हिन्दी, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, कन्नड़ आदि) आदि का मिश्रण हो वहाँ राष्ट्रभाषा चुनने में कठिनाई आना स्वाभाविक है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत एक ऐसा विशाल देश है जहाँ प्रत्येक प्रांत में विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं, अतः हिन्दी के राष्ट्रीय स्तर के प्रचार-प्रसार में कोई न कोई विरोध होते रहते हैं। इसी कारण अपने ही देश में अपने ही देशवासियों की उपेक्षा से हिन्दी बार बार आहत होती रही है। रही हुई कसर हमारी अंग्रेजी की मानसिकता ने पूरी कर डाली।

हिन्दी पूर्णतया एक वैज्ञानिक भाषा है। इसकी लिपि भी पूरी तरह से वैज्ञानिक ही है। अध्ययन से पता चला है कि संसार की सभी प्रमुख भाषाएँ इसी लिपि का प्रयोग करती हैं। आज हमारे देशवासियों के पास सबसे चुनौतीपूर्ण प्रश्न यह है कि हम कैसे हमारी राजभाषा हिन्दी को उसके गौरवशाली सिंहासन पर बैठाएँ। आवश्यकता इस बात की है कि हम मन, बचन, कर्म से हिन्दी को अपनाएें। भाषा और भाव का समन्वय ही हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

बहुकर्मी स्टॉफ

भारत-भारती

हम कौन थे, क्या हो गये हैं, और क्या होंगे अभी।
आओ विचारें आज मिल कर, यह समस्याएं सभी।।

भू लोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहां,
फैला मनोहर गिरि हिमालय, और गंगाजल कहां।
संपूर्ण देशों से अधिक, किस देश का उत्कर्ष है,
उसका कि जो ऋषि भूमि है, वह कौन, भारतवर्ष है।।

यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं,
विद्या कला कौशल्य सबके, जो प्रथम आचार्य हैं।
संतान उनकी आज यद्यपि, हम अधोगति में पड़े,
पर चिन्ह उनकी उच्चता के, आज भी कुछ हैं खड़े।।

-मैथिली शरण गुप्त

पिता का साया

मनोज कुमार

पिता की वो मजबूत उंगली जिसे पकड़कर एक बच्चा अपने जीवन का पहला कदम आगे बढ़ाता है, बहुत सुखदायी होता है। पिता से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं होता है। जो हार न मानने और हमेशा आगे बढ़ने की सीख देते हुए अपने बच्चों का हौसला बढ़ाता है। हर बच्चा अपने पिता से ही सारे गुण सीखता है जो उसे जीवनभर कठिनाइयों और परिस्थितियों से संघर्ष करना सिखाता है। उनके पास सदैव हमें देने के लिए ज्ञान का अमूल्य भंडार होता है, जो कभी खत्म नहीं होता।

लेकिन यह भी इंसान की फितरत होती है कि जब तक उसके पास कोई वस्तु या कहें की कोई रिश्ता होता है तब तक उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि उसे दिया जाना चाहिए। हमें किसी वस्तु या रिश्ते के मूल्य का एहसास तब होता है जब वह हमारें पास नहीं होता है। इसे एक छोटे से बच्चे की छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते है:-

यह कहानी हर उस बच्चे और उसके पिता की है जो गरीबी रूपी एक सीमा में बंधे होते हैं। प्रत्येक बच्चे के लिए मेला और मेले में जाना एक आकर्षण का केंद्र होता है तो उस बच्चे की पहली इच्छा तो तब पूरी हो जाती है जब वह अपने पिता के साथ मेले में पहुंच जाता है लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि उसका पिता उतना संपन्न नहीं था जितना वह समझता था। हर बच्चे की तरह वह मासूम भी मेले को देखकर सम्मोहित हो जाता है तथा मेले की चमक-धमक में खो जाता है बच्चे का मन अब हिलोरे लेने लगता है तथा वह अपने पिता से खिलौने दिलवाने के लिए कहता है तो पिता अपनी मजबूरी को छिपाने और उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे आसमान में उड़ती हुई पतंग देखने के लिए कहते हैं लेकिन बच्चा तो खिलौनों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। फिर मजबूर पिता अपने बेटे को लेकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन बच्चा तो रहेगा बच्चा ही, वह कहां मानने वाला था, कभी मिठाई खानी है, कभी झूले में झूलना है तो कभी कुछ और मांग करने लगा। मायूस पिता भी अपनी बदनसीबी को कोसने लगा कि सिर्फ पैसे न होने की वजह से वह अपने बेटे की एक भी मांग पूरी नहीं कर पा रहा है। मेला देखते-देखते बच्चा एक विशाल और ऊँचे से झूले के सामने रुक जाता है और उस झूले की राइड को देखकर वह सपनों में खो जाता है। लेकिन भीड़ अधिक होने की वजह से दुर्भाग्यवश बच्चा अपने पिता की पकड़ से छूट कर अलग हो जाता है और वह मेले में खो जाता है। जैसे ही बच्चे को इस बात की भनक लगती है कि वह पिता से बिछुड़ चुका है तो उसका होश उड़ जाता है तथा घबराहट में वह रोने लग जाता है। पास खड़े लोगो ने जब बच्चे को रोता देखा तो पूछा अरे बेटे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तब बच्चे ने रोते हुए बताया, वह अपने पिता से बिछुड़ गया है तथा उसे अपने पिता के पास जाना है। एक भले व्यक्ति ने बच्चे को संभाला और उसे चुप कराने के लिए बोले-अरे बेटा ये मिठाई खा लो, झूले पर झूल लो तथा उसे खिलौने दिलाने की भी बात कही लेकिन बच्चे ने सभी चीजों के लिए मना कर दिया और लगातार रोए जा रहा था अब बच्चे को वो सारी चीजें जिन्हें वह दिलवाने के लिए अपने पिता से जिद्द कर रहा था, अब उन्हीं चीजों से उसका मन हट चुका था तथा बच्चा अपनी आसूं भारी आँखों से अपने पिता को ढूंड रहा था और केवल अपने पिताजी के पास जाने की जिद्द कर रहा था। अब उसे एहसास हो गया था कि पिता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता जब तक पिताजी उसके पास थे तब तक दुनिया की सभी चीजें उसके पास न होते हुए भी उसके पास थी लेकिन अब पिता के बिना इन सब चीजों का उसके लिए कोई मूल्य नहीं रहा।

इसीलिए कहा जाता है सारी दुनिया की दौलत का एक पिता के आगे कोई मोल नहीं होता है। पिता का साया बरगद के समान होता है।

पिता रोटी है, कपडा है, मकान है,
पिता नन्हें से परिंदे का बड़ा आसमान है,
पिता है तो घर में प्रतिपल राग है,
पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है,
पिता है तो बच्चे के सारे सपने है,
पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने है।

सहायक

अधिकार और कर्तव्य

विशाल

आज के आधुनिक एवं डिजिटल युग में मनुष्य ने अपने सांसारिक ज्ञान में प्रभावशाली संवृद्धि की है जिसे यदि सकारात्मक दृष्टि से देखें तो यह बहुत ही प्रशंसनीय है लेकिन चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा वह प्रत्येक स्थल और कार्य में देश व समाज से जुड़ा हुआ होता है अत: उसे न केवल सैद्धांतिक मूल्यों पर ही अधिक जोर देना चाहिए बल्कि सामाजिक मूल्यों को भी साथ लेकर चलना चाहिए।

यही कारण है कि आधुनिक मनुष्य अपने अधिकारों से तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है और प्रत्येक स्थान पर अपने अधिकारों का हवाला देकर अपना पक्ष रखता है लेकिन यह हमारी विडंबना है कि हम अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए लड़ने-मरने के हर समय तत्पर होते हैं। लेकिन जब कर्तव्यों की बात आती है तो हम इधर-उधर झांकना शुरू कर देते है कि हमारा काम कोई दूसरा व्यक्ति ही कर दे। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जब हमारे अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ-साथ चलते है तथा दोनों एक ही सिक्के ही दो पहलू है। जिस अधिकार का दावा हम करते हैं वहीं अधिकार कहीं न कहीं हमें हमारे कर्तव्य की तरफ ले जाता है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं तथा यही सोचने लगते है कि मैं ही क्यों इस कार्य को करूँ, जब कोई दूसरा ही इस कार्य को नहीं कर रहा है जबकि हमें उस कार्य को अपना समझ कर करना चाहिए।

अधिकार और कर्तव्य राष्ट्र के विकास या किसी संगठन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक ओर अधिकार किसी व्यक्ति को विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनने का अवसर देते हैं जबकि दूसरी ओर कर्तव्य विकास में भूमिका निभाने के लिए एक व्यक्ति को बाध्य करते हैं। एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक के रूप में हम सभी को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन इन अधिकारों के अलावा हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं जिनके बारे में हम शायद ही कभी बात करते हैं। इसके अलावा जिम्मेदार नागरिकता केवल मौलिक अधिकारों का आनंद लेने और हमारे संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह उन कर्तव्यों से परे है।

हम हमेशा अपने अधिकारों की चर्चा करते हैं तथा उन कर्तव्यों की उपेक्षा करने की सोचते है जो हमारे पास हैं। हमारे देश के नागरिक के रूप में हम एक विशेषाधिकार प्राप्त नागरिक के अधिकारों का आनंद लेते हैं और अक्सर हम सेवाओं को प्रदान करने में सरकार की अक्षमता की शिकायत करते हैं। इसी तरह एक संगठन में एक कर्मचारी या एक संस्थान में एक छात्र के रूप में हम सिस्टम की अपर्याप्तता के बारे में शिकायत करते हैं। लेकिन जब राष्ट्र या संस्थान के लिए हमारे कर्तव्य की बात आती है, तो अधिकांश समय हम जागरूक नहीं होते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करें, जिनका हम विरोध करते हुए या अपने अधिकारों की मांग करते हुए नष्ट करने में संकोच नहीं करते। अत: हम सब का यह परम दायित्व होना चाहिए कि जितना सजग हम अपने अधिकारों के प्रति हैं, उतना ही सजग हमें अपने कर्तव्यों के लिए होना चाहिए तथा बिना किसी चाहत के पूरी शिद्दत के साथ हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवद्गीता के इस श्लोक में निहित है:

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि।।

प्रवर श्रेणी लिपिक

देख कर बाधा विविध, बहु विघ्न घबराते नहीं
रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं
काम कितना ही कठिन हो किन्तु उकताते नहीं
भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं
हो गये एक आन में उनके बुरे दिन भी भले
सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले ।

-अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध'

विद्या अनमोल रत्न

श्रीभगवान

विद्या एक अनमोल रत्न है,
जो हरदम चमक निखारती है।
धूमिल नदी होती है कीचड़ में,
हर जगह प्रकाश बिखेरती है।।

जलती नहीं कभी यूँ ही यह,
दहकती आग की ज्वाला में।
नष्ट न होती कभी जल्दी यह
नहीं बहती नदी नाला में।।

चोरी नहीं होती है विद्या,
यह ज्ञान सदा फैलाती है।
विद्या से होते है विनीत हम
विद्या हमें धैर्य सिखाती है।
यह सुन्दर एक पहेली है।।

विद्या वैरी उन धनवानों की,
जिनकी बड़ी विशाल हवेली।
नींद नदारद चैन नदारद,
यह सुन्दर एक पहेली है।।

सहायक

उफ! ये मोबाइल

अंकुर कोहली

अन्दर रसोई से आवाज आई- लवित, बेटा मोबाइल को अब बंद करके रख दो और दूध पी लो वरना दूध ठंडा हो जाएगा। उफ ये लड़का भी बिना मोबाइल के एक पल भी नहीं रह सकता पूरा दिन मोबाइल पर गेम खेलता रहता है। इस लड़के से मोबाइल लेकर इसे दूध पिला दो, फिर ये दूसरी आवाज मेरे लिए थी जो मैंने अखबार पढ़ते हुए अनसुनी कर दी थी। कुछ ही देर में लवित की मम्मी अपने हाथ में बेलन लेकर रसोई से बाहर आती है। जैसे ही बेटे ने अपनी मम्मी का बेलन वाला उग्र रूप देखा तो तुरंत मोबाइल बंद कर दूध पीने लगा। मैंने अखबार को थोड़ा नीचे किया और एक भारतीय माँ का अपने बेटे के लिए प्यार देखकर मैं भावुक हो गया।

बात तो सही है जब से यह मोबाइल हम मध्यम वर्गीय लोगों की पहुंच में आया है तब से इस दुराचारी ने हमारे जीवन में उथल-पुथल मचा दी है। अब वह समय नहीं रहा जब लोग चाय की दुकान पर समूह में बैठकर चाय पीते हुए अखबार पढ़ा करते थे या पूरा परिवार बैठ कर साथ खाना खाता था और बच्चे खेतों में और पार्कों में खेलते मिला करते थे। अब तो चाहे बस हो या रेलगाड़ी चाहे कार हो या मोटरसाइकिल, आज की आधुनिक पीढ़ी हर जगह अपनी जान की परवाह किए बिना मोबाइल में तल्लीन रहती है।

हम यह भूल गए हैं कि इस मोबाइल ने हम सबको आलसी और भुलक्कड़ बना दिया है इस पापी ने हमसे न सिर्फ हमारा सुख-चैन छीन लिया है बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहा है तथा इसने हमारे हाथ की घड़ी के साथ-साथ हमारा समय, वो चिट्ठी-पत्रियां जिसे हम हमेशा संभाल कर रखते थे, वो रेडियो, टेप-रिकॉर्डर, टॉर्च-लाइट, किताबें, अखबार, दोस्त, पैसे, रिश्ते, खेल, प्यार-मोहब्बत सब निगल लिया है और हमें अपना दास बना कर छोड़ दिया है।

लेकिन फिर भी यदि एक दायरे में रहकर किसी वस्तु का प्रयोग किया जाता है तो वह कभी भी नुकसानदायक नहीं हो सकती और हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकती है। कहा भी जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और कोई भी अविष्कार मनुष्य के लिए वरदान या विनाशक साबित हो सकता है बशर्ते हम उसका उपयोग कैसे करते हैं।

प्रवर श्रेणी लिपिक

राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश

डॉ. स्वीटी यादव

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट व सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में, अंग्रेजी और हिंदी, दोनों में जारी किए जाएं। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अंतर्गत ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार, निष्पादित अथवा जारी किए जाएं
2. राजभाषा नियम, 1976 के 5 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना अनिवार्य है।
3. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 (4) के अनुसार केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत कार्मिकों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं।
4. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 (4) के अनुसार केंद्र सरकार, ऐसे अधिसूचित कार्यालयों के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारुपण और अन्य उन शासकीय कार्यों को केवल हिंदी में करने के लिए आदेश जारी कर सकती है, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट हों।
5. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी, मुद्रित या उत्कीर्ण की जाएंगी।
6. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली के प्रावधानों तथा इनके अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो तथा इस प्रयोजन से उपयुक्त एवं प्रभावकारी जांच बिंदु बनाए जाएं।
7. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय हिंदी समिति की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए सुझावों पर पुनः बल दिया है। ये सुझाव हैं:- सरकारी हिंदी और सामाजिक हिंदी के अंतर को कम करना, देश की दूसरी भाषाओं से हिंदी को और समृद्ध करने के लिए उपाय करना, दूसरी भाषाओं के अच्छे शब्दों को हिंदी में ग्रहण करना, दूसरी भारतीय भाषाओं से अच्छे शब्दों को खोजकर हिंदी भाषा में जोड़ना, हिंदी में अनुवाद सरल भाषा में सुनिश्चित करना जिससे सरकारी भाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में बाधक नहीं, सहायक हो।
8. राजभाषा विभाग ने भारत सरकार के सभी सचिवों/ विभिन्न सरकारी संगठनों के प्रमुखों से आग्रह किया है कि जब वे प्रत्येक माह वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करें तो वे उनमें हिंदी में सरकारी काम-काज में हुई प्रगति की भी समीक्षा करें और अपने संगठन में राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करें। साथ ही, संयुक्त सचिव (प्रशासन)/संगठन के प्रशासनिक प्रमुख को हिंदी कार्यान्वयन का तथा वर्ष की प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाए।
9. कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा का संवर्ग गठित होना चाहिए, जो कि कुल पदों के अनुरूप हो। मंत्रालयों/विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों के हिंदी पदाधिकारियों को केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के समान वेतमान व पदनाम दिए जाएं।
10. अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिंदी में देने की छूट दी जाए और ऐसे प्रश्न-पत्र द्विभाषी रूप से हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं। साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा में

उम्मीदवारों को हिंदी में उत्तर देने की छूट दी जाए।

11. केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा सभी सेवाकालीन, विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं (अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षाओं सहित) में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में देने का विकल्प दिया जाए। प्रश्न पत्र अनिवार्यत: दोनों भाषाओं, हिंदी और अंग्रेजी में तैयार कराए जाएं। जहां साक्षात्कार लिया जाना हो, वहां अभ्यर्थियों को पूछे प्रश्नों का उत्तर हिंदी में देने की अनुमति दी जाए।
12. सभी प्रकार की वैज्ञानिक, तकनीकी संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं आदि में वैज्ञानिकों आदि को राजभाषा हिंदी में शोध पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। उक्त शोध पत्र संबंधित मंत्रालय/विभाग और कार्यालय आदि के मुख्य विषय से संबंधित हों।
13. केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि हिंदी संगोष्ठियों का आयोजन करें।
14. 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में सभी प्रकार का प्रशिक्षण, चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का, सामान्यत: हिंदी माध्यम से हो। 'ग' क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराई जाए और प्रशिक्षणार्थी की मांग के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाए।

राजभाषा संकल्प 1968

संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है :

1. यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने के हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक के अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे बी कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।
2. संविधान की आठवीं अनूसची में हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और - देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक - है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु सामूहिक उपाए किए - जाने चाहिए

   यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के साथ-साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हो और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें।
3. जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रि-भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णत: कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिए। यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजों के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के, दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए, और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबन्ध किया जाना चाहिए और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए
4. यह सभा संकल्प करती है कि -

क. कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा के कर्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिंदी अथवा दोनों जैसी कि स्थिति हो का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्य होगा, और

ख. कि परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात अखिल भारतीय एवं उच्चतर केंद्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।

सहायक निदेशक (राजभाषा)

उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम में कार्यग्रहण करने वाले नवनियुक्त अधिकारी - एक परिचय

श्री सन्नी कुशवाहा, उप निदेशक

कार्यग्रहण तिथि : 01 दिसम्बर, 2023

पूर्ववर्ती विभाग एवं पदनाम : श्री सन्नी कुशवाहा, उप निदेशक ने पूर्व में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी पद पर 05 वर्षों तक कार्य किया।

श्री दीपक शर्मा, उप निदेशक

कार्यग्रहण तिथि : 06 फरवरी 2024

पूर्ववर्ती विभाग एवं पदनाम : श्री दीपक शर्मा, उप निदेशक ने पूर्व में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली उत्तर, वजीरपुर में प्रवर्तन अधिकारी के पद पर 04 वर्ष तक कार्य किया।

श्री सचिन सिंह, उप निदेशक

कार्यग्रहण तिथि : 07 फरवरी, 2024

पूर्ववर्ती विभाग एवं पदनाम : श्री सचिन सिंह, उप निदेशक ने पूर्व में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, चेन्नई सीमा शुल्क हाउस में मूल्यांकन अधिकारी के पद पर 07 वर्ष तक कार्य किया।

डॉ. स्वीटी यादव, सहायक निदेशक (राजभाषा)

कार्यग्रहण तिथि : 31 जनवरी, 2024

पूर्ववर्ती विभाग एवं पदनाम : सुश्री स्वीटी यादव, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने पूर्व में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली में अनुवाद अधिकारी पद पर 06 वर्ष तक कार्य किया।

नवनियुक्त अधिकारियों का स्वागत करते हुए उपनिदेशक (प्रभारी)

राजभाषा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियाँ/उपलब्धियाँ

राजभाषा पखवाड़ा आयोजन रिपोर्ट

उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम में दिनांक 14 सितम्बर से 29 सितम्बर 2023 तक राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन अत्यन्त उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ किया गया। सार्वजनिक सूचना एवं जागरुकता के उद्देश्य से कार्यालय के मुख्य द्वार पर राजभाषा पखवाड़ा-2023 का बैनर प्रदर्शित किया गया। साथ ही इस दौरान कार्यालय से जारी होने वाले पत्रादि के शीर्ष पर राजभाषा पखवाड़ा-2023 अंकित किया गया तथा हिंदी का ज्ञान रखने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से श्री विकास कुण्डल, उप निदेशक(प्रभारी) महोदय द्वारा लिखित रूप में आग्रह किया गया कि राजभाषा पखवाड़ा के दौरान शत-प्रतिशत कार्यालयी कामकाम हिंदी में करना सुनिश्चित करें ।

राजभाषा पखवाड़ा-2023 के दौरान मुख्यालय के निदेशानुसार विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा कार्यालय के कार्मिकों ने इन प्रतियोगिताओं में उत्साह एवं आत्मविश्वास के साथ भाग लिया:-

क्र.सं.	प्रतियोगिता का नाम	आयोजन तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
1.	हिंदी निबंध	18.09.2023	14
2.	हिंदी वाक्	19.09.2023	07
3.	हिंदी टिप्पण-आलेखन	20.09.2023	22
4.	राजभाषा ज्ञान	21.09.2023	20

29 सितम्बर, 2023 को उप निदेशक(प्रभारी) महोदय की अध्यक्षता में राजभाषा पखवाड़ा समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया । अधिकारियों द्वारा पंचदीप प्रज्ज्वलन एवं ईश्वर वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया । तदुपरांत कार्यालय अध्यक्ष श्री विकास कुण्डल, उप निदेशक(प्रभारी) द्वारा माननीय श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के संदेश का वाचन किया गया एवं सहायक निदेशक श्री राजेश यादव ने माननीय राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी के संदेश का वाचन किया तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद, सहायक निदेशक द्वारा निगम के महानिदेशक महोदय डॉ. राजेन्द्र कुमार जी के संदेश का वाचन किया गया ।

इसके उपरांत हिंदी प्रतियोगिता के विजेताओं को मंचासीन अधिकारियों द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति-चिह्न भेंट करके सम्मानित किया गया । साथ ही मूल्यांकन समिति एवं प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को भी प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार भेंट किए गए ।

कार्यालय अध्यक्ष श्री विकास कुण्डल ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपना कार्यालय काम-काज अधिक से अधिक हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया तथा कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे हिंदी प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें । साथ ही मंचासीन अधिकारियों ने भी राजभाषा के प्रयोग एवं प्रचार से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए ।

कार्यक्रम के अंत में श्री रविन्द्र कुमार, सहायक निदेशक ने मंचासीन अधिकारियों एवं समारोह में उपस्थित कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया ।

हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित हिंदी प्रतियोगिताएं

हिंदी पुरस्कार वितरण समारोह-2023

सत्यमेव जयते

कामगार राज्य विमा महामंडळ
(श्रम आणि रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Government of India)

उप प्रादेशिक कार्यालय, पंचदीप भवन, गणेशपेठ, नागपुर, महाराष्ट्र
उप क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर / SUB-REGIONAL OFFICE NAGPUR
पंचदीप भवन, गणेशपेठ, नागपुर, महाराष्ट्र - 440018
PANCHDEEP BHAWAN, GANESHPETH, NAGPUR, MAHARASHTRA
☎: 2720041, 2726219, 2726365, 2729075, Fax: 0712-2729359
E-mail: dir-nagpur@esic.nic.in Website: www.esic.nic.in

पत्रांक/No.: 23/ए/49/पत्रिका/01/2011-रा.भा. दिनांक/Date: 21.02.2023

सेवा में,

प्रभारी राजभाषा अधिकारी
कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उप क्षेत्रीय कार्यालय,
प्लॉट सं. 47, सेक्टर–34, गुरुग्राम।

440
06 MAR 2023

विषय : हिंदी गृह पत्रिका 'श्रम ज्योति' के 8वें अंक का की प्राप्ति एवं प्रतिक्रिया का प्रेषण।

आदरणीय महोदय,

आपके कार्यालय की हिंदी पत्रिका 'श्रम ज्योति' के 8वें की प्राप्ति हुई। अंक प्रेषण हेतु आपको हार्दिक धन्यवाद। पत्रिका का यह अंक अत्यंत सराहनीय है। कृपया प्रतिक्रिया सादर स्वीकार करें।

बधाई	पत्रिका के पूर्व अंक वर्ष 2019–2020 के लिए प्राप्त प्रथम पुरस्कार हेतु।
प्रशंसनीय	पत्रिका में श्रीमती सुषमा दीवान, श्रीमती ऋतु गंभीर, श्री पवन कुमार, श्रीमती ममता सहगल, श्री राहुल खण्डेलवाल, श्री रवीन्द्र कुमार, श्रीमती सुनीता सचदेवा, श्रीमती गीता तनेजा एवं श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता की रचनाएं।
आकर्षक	पत्रिका का मुखपृष्ठ एवं विभिन्न आयोजनों के छायाचित्र। बाल कूँची से निखरी अभिव्यक्तियाँ भी सराहनीय हैं।
विशेष	ईएसआई एक्ट को शब्दों की माला में पिरोकर सहज तरीके से समझने के लिए रची गयी यह कविता निश्चय ही अधिनियम का सुन्दर सार प्रस्तुत करती है। श्री महावीर बावलिया जी को सगर्व धन्यवाद।
सुझाव	पृष्ठों के धरातल पर सूक्तियाँ शामिल की जा सकती हैं। प्रशंसनीय रचनाकारों के उत्साहवर्धन हेतु इस पत्र की प्रति भेंट की जा सकती है।

संपादक मंडल को इस पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु हार्दिक बधाईयाँ।

अगले अंक के लिए शुभेच्छाओं सहित।

भवदीय

सहायक निदेशक
प्रभारी राजभाषा अधिकारी

प्राप्ति / Receipt
प्लॉट नं–47, सैक्टर–34

23/12/2022

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), गुरूग्राम

गृह पत्रिका प्रमाण पत्र

वर्ष 2021-22

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), गुरूग्राम के सदस्य कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उप क्षेत्रीय कार्यालय को उनके द्वारा प्रकाशित श्रम ज्योति पत्रिका के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

सदस्य सचिव
नराकास गुरूग्राम

निदेशक
वा.व मा.सं.वि.

उप निदेशक
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

अध्यक्ष
नराकास गुरूग्राम

वर्ष : 2023-2024 के दौरान उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम द्वारा किया गया राजभाषायी निरीक्षण

क्र. सं.	शाखा/शाखा कार्यालय का नाम	निरीक्षण की तिथि
1	बीमा-3 शाखा	25/10/2023
2	रोकड़ शाखा	25/10/2023
3	व्याप्ति शाखा	26/10/2023
4	समन्वय शाखा	26/10/2023
5	शाखा कार्यालय धारुहेड़ा	27/10/2023
6	शाखा कार्यालय गुरुग्राम	20/03/2024
7	शाखा कार्यालय डूंडाहेड़ा	21/03/2024
8	शाखा कार्यालय मानेसर	22/03/2024

हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन योजना 2023 के अंतर्गत पुरस्कृत अधिकारी/कर्मचारी

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1	गीता तनेजा	कार्यालय अधीक्षक
2	नितिन	आशुलिपिक
3	श्रीभगवान	सहायक
4	मनोज कुमार	सहायक
5	राहुल	सहायक
6	उमेश	सहायक
7	भीम सैन	सहायक
8	लवकुश गुप्ता	सहायक
9	सुनील	सहायक
10	जदुनाथ प्रधान	सहायक
11	कँवल जीत सिंह	सहायक
12	सतीश कुमार	सहायक
13	सोमबीर	सहायक
14	देवेन्द्र	सहायक
15	असीम मुखर्जी	प्रवर श्रेणी लिपिक
16	कर्ण सिंह	प्रवर श्रेणी लिपिक
17	विशाल	प्रवर श्रेणी लिपिक
18	पिन्कू	प्रवर श्रेणी लिपिक
19	अंकुर कोहली	प्रवर श्रेणी लिपिक
20	मोनिका	प्रवर श्रेणी लिपिक
21	दीपक कुमार	प्रवर श्रेणी लिपिक
22	सुमन	प्रवर श्रेणी लिपिक
23	शुभम सारंग	प्रवर श्रेणी लिपिक
24	साक्षी सिंह	प्रवर श्रेणी लिपिक
25	हेमंत कुमार	प्रवर श्रेणी लिपिक
26	जितेंद्र	प्रवर श्रेणी लिपिक
27	सुमित	प्रवर श्रेणी लिपिक
28	मीतू यादव	प्रवर श्रेणी लिपिक
29	नेहा	प्रवर श्रेणी लिपिक
30	ज्योति	प्रवर श्रेणी लिपिक
31	सतीश कुमार	प्रवर श्रेणी लिपिक
32	करन	प्रवर श्रेणी लिपिक
33	गौरव कुमार यादव	प्रवर श्रेणी लिपिक
34	राजकुमार	प्रवर श्रेणी लिपिक
35	पिंकी रानी	प्रवर श्रेणी लिपिक
36	धर्मवीर सिंह	प्रवर श्रेणी लिपिक
37	राजकुमार	प्रवर श्रेणी लिपिक,
38	शाखा कार्यालय धारूहेड़ा	
39	जितेंद्र कुमार	अवर श्रेणी लिपिक
40	पुष्पा	अवर श्रेणी लिपिक
41	दिनकर	अवर श्रेणी लिपिक

मूल हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रोत्साहन योजना 2022-23 के अंतर्गत पुरस्कृत अधिकारी/कर्मचारी

क्र. सं.	नाम	पदनाम	प्राप्त स्थान
1	दिनकर	अवर श्रेणी लिपिक	प्रथम
2	ज्योति नेगी	सहायक	प्रथम
3	गीता तनेजा	अधीक्षक	द्वितीय
4	राहुल	सहायक	द्वितीय
5	करन	प्रवर श्रेणी लिपिक	द्वितीय

हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना-2023 के अंतर्गत हिंदी में सरकारी कामकाज करने पर प्रोत्साहन भत्ता पाने वाले आशुलिपिकों/टंककों की सूची

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम
1.	नितिन	आशुलिपिक
2.	हेमंत कुमार	प्रवर श्रेणी लिपिक
3.	विशाल	प्रवर श्रेणी लिपिक
4.	असीम मुखर्जी	प्रवर श्रेणी लिपिक
5.	पिंकी रानी	प्रवर श्रेणी लिपिक
6.	सुमन	प्रवर श्रेणी लिपिक
7.	सतीश कुमार	प्रवर श्रेणी लिपिक
8.	नवीता आर्य	प्रवर श्रेणी लिपिक
9.	शुभम सारंग	प्रवर श्रेणी लिपिक
10.	गौरव कुमार यादव	प्रवर श्रेणी लिपिक
11.	करन	प्रवर श्रेणी लिपिक
12.	ज्योति	प्रवर श्रेणी लिपिक
13.	नेहा	प्रवर श्रेणी लिपिक
14.	सुमित	प्रवर श्रेणी लिपिक
15.	साक्षी सिंह	प्रवर श्रेणी लिपिक
16.	सुषमा कुमारी	प्रवर श्रेणी लिपिक
17.	कर्ण सिंह	प्रवर श्रेणी लिपिक
18.	अंकुर कोहली	प्रवर श्रेणी लिपिक
19.	मोनिका	प्रवर श्रेणी लिपिक
20.	धर्मवीर सिंह	प्रवर श्रेणी लिपिक
21.	जितेन्द्र कुमार	अवर श्रेणी लिपिक
22.	राकेश कुमार	अवर श्रेणी लिपिक

उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम में वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित हिंदी कार्यशालाओं के चित्र

विभिन्न गतिविधियाँ

माननीय राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का अभिनंदन करते हुए उप निदेशक (प्रभारी) श्री विकास कुण्डल

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगाभ्यास के महत्व पर व्यख्यान देते हुए योग प्रशिक्षक

स्वच्छता पखवाड़ा-2023 के अंतर्गत विशेष स्वच्छता अभियान में सफाई करते उप निदेशक(प्रभारी) एवं अन्य अधिकारी गण

राष्ट्रीय एकता दिवस-2023 के उपलक्ष्य में कर्मचारियों को शपथ दिलाते हुए उप निदेशक(प्रभारी) श्री विकास कुण्डल

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2023 के दौरान प्रमाण पत्र वितरित करते हुए उप निदेशक(प्रभारी) एवं अधिकारी गण

पूर्व उप निदेशक(प्रभारी) श्री सुनील कुमार नेगी, वर्तमान उप निदेशक(प्रभारी) श्री विकास कुण्डल का उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम में पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करते हुए

स्वतंत्रता दिवस-2023 के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण समारोह में उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारीगण

अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद का उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम के दौरे के दौरान अभिनंदन करते हुए श्री विकास कुण्डल, उप निदेशक(प्रभारी)

श्री रत्नेश कुमार गौतम, बीमा उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम में निरीक्षण के दौरान

पेंशनधारी एवं पारिवारिक पेंशनधारियों का अभिनंदन करते हुए उप निदेशक(प्रभारी)

एसिक पखवाड़ा-2024 के अंतर्गत आयोजित सुविधा समागम में बीमितों की शिकायतों का निपटान करते हुए अधिकारी गण

कार्यालय में आयोजित राजस्व कार्य सम्बन्धी चार दिवसीय पूर्णकालिक प्रशिक्षण

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024

नारी! तुम केवल श्रद्धा हो
विश्वास-रजत-नग पगतल में।
पीयूष-स्रोत-सी बहा करो
जीवन के सुंदर समतल में।

देवों की विजय, दानवों की
हारों का होता-युद्ध रहा।
संघर्ष सदा उर-अंतर में जीवित
रह नित्य-विरूद्ध रहा।

आँसू से भींगे अंचल पर
मन का सब कुछ रखना होगा-
तुमको अपनी स्मित रेखा से
यह संधिपत्र लिखना होगा।

-जयशंकर प्रसाद

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेती हुई महिला अधिकारी/कर्मचारी गण

उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024

बाल गतिविधि

चित्रकारी

राम आएँगे तो, अंगना सजाऊँगी।
दीप जलाके, दिवाली में मनाऊँगी।।
मेरी झोपड़ी के भाग,आज खुल जाएंगे,
राम आएँगे.......

राम झूलेंगे तो, पालना झुलाऊँगी।
मीठे मीठे मैं, भजन सुनाऊँगी।।

प्यारी प्यारी राधे, प्यारे श्याम संग आएँगे।
श्याम आएँगे, राम आएँगे।
राम आएँगे आएँगे, राम आएँगे।।

यशवी
पुत्री श्री राजेश यादव
सहायक निदेशक

यह चित्रकारी सुश्री यशवी द्वारा प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में स्थित श्रीराम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में की गयी।

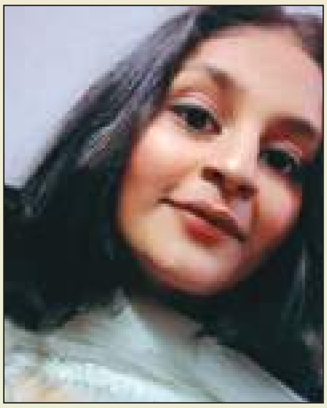

सुश्री मोही मंगला
पुत्री श्री पवन कुमार
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

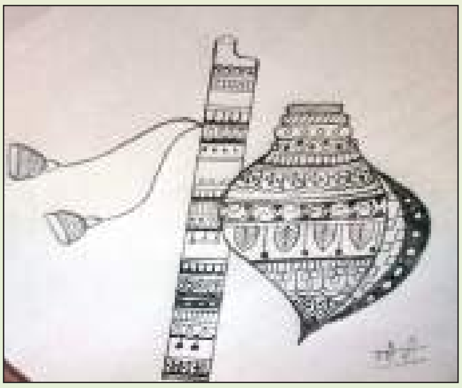

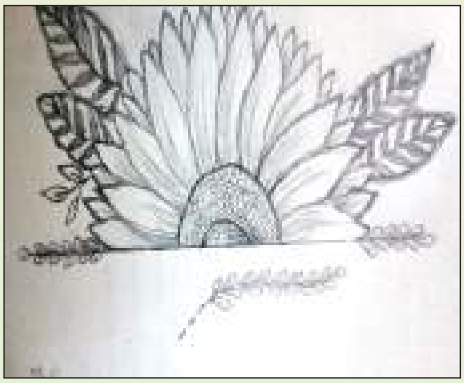

सुश्री तनुश्री मीणा
पुत्री श्री जगमोहन मीणा
सहायक निदेशक

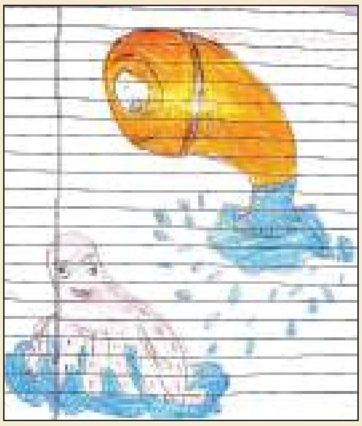

आशुतोष प्रधान
सुपुत्र श्री जदुनाथ प्रधान
सहायक

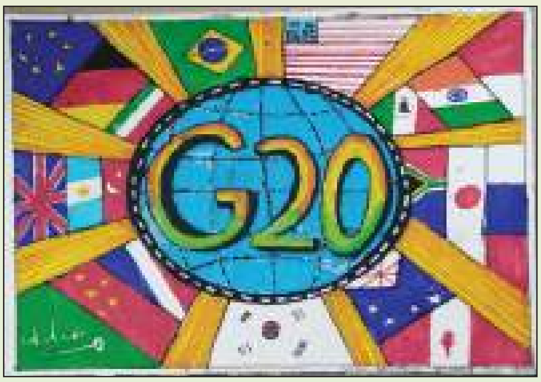

नित जीवन के संघर्षों से,
जब टूट चुका हो अन्तर्मन।
तब सुख के मिले समन्दर का,
रह जाता कोई अर्थ नहीं।।

जब फसल सूख कर जल के बिन,
तिनका-तिनका बन गिर जाये।
फिर होने वाली वर्षा का,
रह जाता कोई अर्थ नही।।

सम्बन्ध कोई भी हों लेकिन,
यदि दु:ख में साथ न दें अपना।
फिर सुख में उन सम्बन्धों का,
रह जाता कोई अर्थ नहीं।।

छोटी-छोटी खुशियों के क्षण,
निकले जाते हैं रोज जहाँ।
फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का,
रह जाता कोई अर्थ नही।।

मन कटुवाणी से आहत हो,
भीतर तक छलनी हो जाये।
फिर बाद कहे प्रिय वचनों का,
रह जाता कोई अर्थ नही।।

सुख-साधन चाहे जितने हों,
पर काया रोगों का घर हो।
फिर उन अगनित सुविधाओं का,
रह जाता कोई अर्थ नही।।

-रामधारी सिंह दिनकर

उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
प्लॉट सं. 47 सैक्टर-34, गुरुग्राम, फोन सं. 0124-4051924
ई-मेल dir-gurgaon@esic.nic.in